निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 219/2019 दिनांक 25.03.2021

अनवान

जमनालाल लाल पिता नेतां जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)

.... वादी

।। बनाम ।।

1. नेता पिता दल्ला जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
2. मिठ्ठूलाल पिता नेता जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
3. शंभूलाल पिता नेता जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
4. राजी पुत्री नेता जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
5. शंकरलाल पिता किशना जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
6. रामेश्वर लाल पिता किशना जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
7. कालूलाल पिता किशना जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
8. शांति बाई पुत्री किशना जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
9. प्रेमलता पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
10. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नि मिठ्ठूलाल जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
11. प्रेमबाई पत्नि शंकरलाल जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
12. कृष्णा देवी पत्नि कालूलाल जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
13. शांता देवी पत्नि भेरूलाल जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर
14. श्रीमान् तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री सूरपालसिहं वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 209 के तहत वा[illegible] इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि ग्राम नाहरगढ पटवार [illegible] भदेसर में वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त [illegible] कृषि आराजीयात [illegible] जिसके खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

संख्या 278 में दर्ज आराजी नम्बर 89, 90, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, कुल किता 13 कुल रकबा 6.29 हैक्टयर स्थित है। साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2072–2075 एवं मिलान क्षैत्रफल, जमाबंदी संवत 2031 से 2034 पेश है।

2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा निहित है और वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 04 तक प्रतिवादी संख्या 01 की जायंदा संताने होने से उक्त पैतृक पुश्तैनी आराजीयात में वादी का भी 1/15 हक हिस्सा बनता है और मौके पर इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 तक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अकेले उसके नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर एवं वादी को पैतृक आराजीयात के उपयोग उपभोग से मेहरूम करने की नियत से आराजयीात अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील करने पर आमादा हो रहा है इसलिए वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में नेता के 1/3 हक हिस्से में से वादी को 1/15 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तदर्थ यह वाद पत्र वावत खातेदारी घोषणा का पेश है।

3. यह कि वर्तमान में उक्त आराजीयात में से 1/3 हक हिस्सा अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होने के कारण वह वादी को पैतृक पुश्तैनी आराजीयात के उपयोग उपभोग से मेहरूम करने की नियत से आराजीयात अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील करने पर आमादा हो रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 04 भी प्रतिवादी संख्या 01 का सहयोग कर रहे है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी के 1/15 हक हिस्से वाली आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे एवं आराजीयात किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील करे इस हेतू प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावे।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.12.2019 को मौके पर आकर वादी को आराजीयात से बेदखल करने का असफल प्रयास करने [illegible]यात अन्य को रहन, बह, बक्षीस करने की धमकियां देने से वाद कारण [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

अतः वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के 1/3 हिस्से में से वादी का हक हिस्सा 1/15 हिस्से का खातेदार घोषित फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में वादोत्तर पेश होने से तनकी कायम नहीं की गई । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबन्दी मौजा नाहरगढ खाता संख्या 278 संवत् 2072–2075 प्रदर्श–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा नाहरगढ खाता संख्या 119 संवत् 2031–2034 प्रदर्श–2
3. मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3
4. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री जमनालाल पिता नेता जाट निवासी नाहरगढ
5. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री वक्ता पिता गोकल माली निवासी नाहरगढ
6. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री रतनलाल पिता धीसा गुर्जर निवासी नाहरगढ

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । सारांशतः वादीगण अपने पिता के जिवित रहते उनकी खातेदारी हक से दर्ज ग्राम नाहरगढ की आराजी किता 13 कुल रकबा 6.29 हैक्टेयर में कोपासनरी डिक्री चाहते है क्योंकि प्रश्नगत आराजीयात पैत्रिक एवं पुश्तेनी होनें से उनका विवादित आराजीयात में जन्म से अधिकार निहीत हो चुका है प्रश्नगत आराजी अन्य सहखातेदारान् के साथ प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त आराजी यात में 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है । वादी ने स्वतन्त्र गवाहों से साबित कराया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान् है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में प्रत्येक का 1/15 हक हिस्सा निहित हो चुका है । उत्तरदाता की ओर से वाद का खण्डन नहीं किये जाने से भी वाद के तथ्यों की पुष्टि होती है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:57 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि ग्राम नाहरगढ की खाता संख्या 278 में दर्ज आराजी नम्बर 89, 90, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, कुल किता 13 कुल रकबा 6.29 हैक्टयर भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
जिला–चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 का दर्ज 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा अर्थात् 1/15 हिस्से भूमि के खातेदार घोषित किये जाते है । शेष हिस्सा बदस्तूर रखा जावे । तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्तानुसार वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने तक वादी के 1/15 हक हिस्से की आराजीयात को रहन बय बख्शीस ,हस्तान्तरण नहीं करें न करावें । इसी आशय का पर्चा डिक्री मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner